

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठासीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र राजसमप्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

--: आदेश :-

प्र0सं0 :- 507/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का २१९८१९, भू अ0नि0 वृत्त ३६ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा २१९८१९ तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बत २०२० के खाता संख्या ५०७ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>अनास</u>	<u>507</u>	<u>नारायणलाल उत्र गणेश</u>	<u>नारायणलाल उत्र गणेशलाल</u>

A1
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(69)2021 दिनांक :- २५.११.२०२१
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नारायणलाल उत्र ५०७ को सूचनार्थ।

A1
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

